



259



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 12017 विविध I/शिवपुरी/शिवपुरी/शिवपुरी/2017/2256

सिरनामसिंह पुत्र जगन्नाथ रावत

निवासी- ग्राम कुलवारा, तहसील

कोलारस, जिला शिवपुरी म.प्र.

..... आवेदक

बनाम्

- 1- नारायणसिंह पुत्र जादो निवासी-
ग्राम मरीखेडी, तहसील कोलारस,
जिला शिवपुरी म.प्र.
- 2- श्रीमती मीराबाई फेरनसिंह रावत
निवासी- ग्राम मरीखेडी, तहसील
कोलारस, जिला शिवपुरी म.प्र.

.....अनावेदकगण

रेस्टोरेशन आवेदन पत्र वास्ते प्रकरण क्रमांक 491/तीन/2014

निगरानी में अदम पैरवी में निरस्त आदेश दिनांक 25.07.16

निरस्त करते हुये, मूल प्रकरण रेस्टोर किये जाने वावत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की थी जो माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होकर अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख हेतु नियत थी।
2. यहकि, उक्त निगरानी प्रकरण में आवेदक द्वारा पैरवी करने हेतु श्री गंगा प्रशाद नायक अभिभाषक को नियुक्त किया गया था। जिनके द्वारा प्रकरण में पैरवी की जाती रही, किन्तु दिनांक 25.07.2014 को प्रकरण में नियुक्त अभिभाषक श्री गंगा प्रशाद नायक किसी कार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सके इसलिये मूल निगरानी प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.16 को अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा अभिभाषक महोदय से तारीख की 2-3 वार जानकारी दूरभाष पर ली गई, किन्तु अभिभाषक महोदय द्वारा पेशी दिनांक नहीं बताई गई।


श्री. लखन सिंह वाकड. ए.
द्वारा आज दि. 19/07/17
प्रस्तुत

केस नं. 19-7-17
केस ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

19.07.17
L.S. Dhalwal

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/विविध/ शिवपुरी/भूरा/2017/2256

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
25.8.17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रकरण क्रमांक 491-तीन/13 में पारित आदेश दिनांक 25.7.16 को प्रकरण अनुपस्थित के कारण निरस्त हो गया था। अतः उसे पुनः नम्बर पर लिया जावे। आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण क्रमांक 491-तीन/13 में पारित आदेश दिनांक 25.7.16 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण रेस्टोर्ड किया जाकर समाप्त किया जाता है।</p>	<p> सदस्य</p>